BIHAR HUMAN RIGHTS COMMISSION (BHRC)

9, Bailey Road, Patna

File No. BHRC/Comp. 6703/17

Case of Sanjay Kumar Sinha: (Case of compensation for dismissal from service.)

05.11.2018

पत्रावली आदेश हेतु ली गयी। प्रावेधिक सहायक/पशुधन सहायक, जिनकी सेवा क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, दक्षिणी छोटानागपुर क्षेत्र, राँची द्वारा अवैध नियुक्ति किये जाने के कारण समाप्त कर दी गयी। कतिपय इन्हें छँटनीग्रस्त कर्मी भी इनके द्वारा माना गया, में से एक संजय कुमार सिन्हा इस आयोग में अपनी शिकायत के साथ वर्तमान परिवाद दाखिल किये। मूलतः इसे सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को दिया गया कि इनकी नियुक्ति की वैधानिकता पर विचार किये जाने हेतु सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा जिस त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया, उसका कोई निर्णय नहीं आया है।

इसके जवाब में निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना का प्रतिवेदन इस आयोग को प्राप्त हुआ, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि आवेदक एवं सदृश्य सहकर्मियों की नियुक्ति तदेन क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, दक्षिणी छोटानागपुर क्षेत्र, राँची द्वारा दिनांक 19.07.1989 को किया गया, जिसका अवधि विस्तार छः माह के लिए हुआ, जिसका अवधि विस्तार बाद में भी किया गया। क्षेत्रीय निदेशकों द्वारा की जा रही अवैध नियुक्ति को उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर माना गया और यह पाया गया कि सरकार द्वारा निर्धारित किसी भी मानक का पालन नहीं किया गया था। इसकी सूचना प्राप्त होने पर विभागीय उप सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 5530 दिनांक 23.10.1998 द्वारा सभी क्षेत्रीय निदेशकों को संबंधित कर्मियों से कारणपृच्छा करते हुए सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया गया।

उक्त आदेश की वैधता की चुनौती संजय कुमार सिन्हा एवं अन्य कर्मियों द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में समादेश याचिका संख्या (सीडब्ल्यूजेसी सं.) 9670/1998 दिलिप कुमार एवं अन्य बनाम् बिहार सरकार एवं अन्य द्वारा दी गयी। माननीय पटना उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा उप सचिव द्वारा लिये गये निर्णय को सही माना गया, जिसके विरूद्ध अपील दाखिल किया गया। अपीलार्थियों के लिए पूर्ण पीठ का निर्णय आया। आवेदक एवं उनके सहकर्मियों की सेवा को अवैधानिक माना गया और इस प्रकार आवेदक एवं उनके सहकर्मियों के विरूद्ध पारित आदेश को सही माना गया, जिसके विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दाखिल की गयी, जो भी आवेदक एवं उनके सहकर्मियों के ही विरूद्ध निर्णित की गयी। संजय कुमार सिन्हा एवं अन्य 25 कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपनी याचिका वापस लेने का अनुरोध किया गया जिसे स्वीकार किया गया।

निदेशक, पशुपालन विभाग, बिहार, पटना के प्रतिवेदन दाखिल करने के बाद आवेदक से उसके विरूद्ध लिखित प्रतिक्रिया मांगी गयी, जिसके बाद सुनवाई की गयी और आदेश सुरक्षित रखा गया। जब पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित थी उसी क्रम में प्रताप नारायण ठाकुर एवं 12 उनके सहकर्मियों द्वारा अपना अलग से आवेदन पत्र दाखिल किया गया।

इन आवेदकों द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में पारित आदेश की वैधता से अलग मानवीय आधार पर भी अपनी कठिनाईयों एवं परेशानियों को, जो उनके जीविकोपार्जन से संबंधित है, रखी गयी कि किस तरह उनसे एक वैध नियमित नियुक्त कर्मी की तरह व्यवहार किया गया। एक कर्मी की स्वेच्छा सेवानिवृत्ति दी गयी। उनके सेवा काल के दौरान उन्हें एसीपी/एमएसीपी का लाभ दिया गया। उनके कार्यों में किसी तरह की त्रुटि विभाग द्वारा नहीं पायी गयी। उनकी सेवा को संपुष्ट भी किया गया। इनके साथ ही उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि इनके साथ के कर्मी, जो झारखंड राज्य में रह गये और माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी शिकायतों को रखे, उनकी सेवा को माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया। अब इनके द्वारा शुद्ध रूप से मानवीय आधार का सहारा लिया गया है कि सभी आवेदक एवं उनके सहकर्मी सेवानिवृत्ति के उम्र में हैं। कुछ सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। 26 वर्षों तक इनके द्वारा सेवा करने के बाद इनकी शारीरिक क्षमता ऐसी नहीं रह गयी है और न ही इन्हें दूसरे क्षेत्र के कार्य की जानकारी है कि ये दूसरा जीविकोपार्जन से संबंधित कार्य कर सकें। कुछ कर्मियों के माता–पिता भी इन पर आश्रित हैं। इनके आश्रित बच्चे एवं अन्य परिजन भी हैं। इनके शादी–विवाह की भी जिम्मेवारी है। कुछ कर्मी रोग/जटिल रोग से ग्रस्त हैं, जिस आधार पर इस आयोग के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

इस प्रकार यह स्वीकृत तथ्य है कि आवेदकगण की नियुक्ति प्रावेधिक सहायक/पशुधन सहायक के रूप में क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, छोटानागरपुर क्षेत्र, राँची द्वारा की गयी। विभागीय उप सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 5530 दिनांक 23.10.1998 के द्वारा क्षेत्रीय निदेशकों को संबंधित कर्मियों से कारणपृच्छा करते हुए सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया गया, जिसके वैधानिकता की चुनौती माननीय पटना उच्च न्यायालय एवं माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में क्रमशः उन राज्यों में कार्यरत कर्मियों द्वारा किया गया। आवेदकगण के अनुसार झारखंड के कर्मियों द्वारा जो समादेश याचिका दाखिल की गयी थी, वह उनके पक्ष में निर्णित हुआ। परन्तु माननीय पटना उच्च न्यायालय में दाखिल समादेश याचिका आवेदक एवं उसके सहकर्मियों के विरूद्ध निर्णित हुआ, जिसके अपील में भी वैसा आदेश बरकरार रहा और उसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी माना गया। निश्चित ही उनमें से कुछ अपनी याचिका वापस ले लिये।

बिहार राज्य से जिन कर्मियों का संबंध रहा, उनके लिए माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को प्रभावी माना जायेगा, जिसकी संपुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी की गयी है। निश्चित ही आवेदकगण के साथ बिहार में भी सेवा के दौरान ऐसा ही व्यवहार किया गया है जो एक वैध नियमित सेवा कर्मी के साथ की जाती है। उनकी सेवा की

संपुष्टि हुई है, एसीपी/एमएसीपी का लाभ दिया गया है, कटौती की गयी है, जो उनके खाते में जमा है और वे 26 वर्ष तक कार्यरत रहने के बाद सेवा समाप्ति के आदेश से प्रभावित है।

भारत सरकार द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पारित है, जो हर व्यक्ति के लिए प्रभावी है। इसमें मानव अधिकार को धारा 2 (घ) में निम्न रूप से परिभाषित किया गया है :– ''मानव अधिकार'' से प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेत है जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए हैं या अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सन्निविष्ट और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है।''

अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं की जब बात आती है तो इससे भी अधिक प्रभावी राष्ट्र संघ की सार्वभौम घोषणा आती है, जिसका अनुच्छेद 25(1) निम्न है :– ''प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे जीवन स्तर को प्राप्त करने का अधिकार है जो उसके और उसके परिवार के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए पर्याप्त हो। इसके अंतर्गत खाना, कपड़ा, मकान, चिकित्सा संबंधी सुविधाएं और आवश्यक सामाजिक सेवाएं सम्मिलित हैं। सभी को बेकारी, बीमारी, असमर्थता, वैधव्य, बुढ़ापे या अन्य किसी ऐसी परिस्थिति में आजीविका का साधन न होने पर जो उसके काबू के बाहर हो, सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है।''

आवेदकगण बेकारी, बीमारी, असमर्थता, वैधव्य, बुढ़ापे के परिभाषा में नहीं आयेंगे तब भी वे ऐसी परिस्थिति से अब गुजर रहे हैं कि उनके पास आजीविका का अब कोई साधन नहीं है और यह परिस्थिति उनके काबू के बाहर भी है जिससे सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार उन्हें है और इसकी जिम्मेदारी सरकार पर है। आवेदकगण के साथ जो परिस्थितियाँ है, उसे एक बार पुनः स्पष्ट करना आवश्यक है कि उनकी नियुक्ति 1989 में की जाती है और वह 26 वर्षों तक कार्यरत रहे और वे पूर्णतः जीविकोपार्जन के लिए इसी पर निर्भर रहे। इनकी सेवा की आवश्यकता सरकार को थी, जिसका निर्वहन इन्होंने किया। उसमें किसी तरह की त्रुटि नहीं पायी गयी। इनके द्वारा अपनी नियुक्ति में कोई अवैधानिक कार्य नहीं किया गया। इनके बदले किसी अन्य कर्मी की नियुक्ति नहीं हुई। चूंकि इनकी सेवा माननीय पटना उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया जा चुका है, इसलिए इस परिस्थिति को उसपर पुनर्विचार करने हेतु नहीं देखा जा सकता, परन्तु यह देखा जाना आवश्यक है कि इतने लंबे समय तक कार्यरत रहने के बाद क्या ये दूसरे किसी क्षेत्र में कार्य करने हेतु उपयोगी रह गये हैं। अगर नहीं रह गये हैं तो उन्हें राष्ट्रसंघ के सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 25(1) का लाभ मिलना आवश्यक है। उसी तरह की व्यवस्था हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित अनुच्छेद 41 में भी दिया हुआ है, जो निम्न है :– ''Right to work, to education and to public assistance in certain cases - The State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, **and in other cases of undeserved want.**''

इस प्रकार अविवादित तथ्य जो सामने आता है वह यह है कि इनकी सेवा काल में इनके वेतनादि से जो कटौती की गयी है, इसे वे व्यवस्थागत ब्याज के साथ पाने के अधिकारी हैं और मानवीय आधार पर अपने शेष जीवन हेतु ऐसा एकमुस्त धनराशि पाने के अधिकारी हैं कि उनका शेष जीवन आराम से नहीं भी तो किसी प्रकार कट जाय। इसके लिए यह आयोग प्रत्येक आवेदक के लिए 11,00,000/– (ग्यारह लाख रूपये) अतिरिक्त देने की अनुशंसा करती है, जिसे दो माह के अंदर आवेदकगण को उपलब्ध करा दिया जाये। इसकी सूचना आदेश की प्रति के साथ पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना, गृह विभाग, बिहार, पटना एवं आवेदकगण को दे दी जाय।

सहायक निबंधक

(न्यायमूर्ति मान्धाता सिंह)
सदस्य।